

पचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

मि०न० 359 / 2025

मनजीत कौर पत्नी शमशेरसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

1. अजमेर सिंह पुत्र सुरमुखसिंह
2. भजनसिंह पुत्र सुरमुखसिंह जाति बावरी निवासीयान खाराखेडा तहसील
3. मलकीत सिंह पुत्र रतनसिंह
4. सतनाम सिंह पुत्र मंगलसिंह टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सरजीत सिंह पुत्र रतनसिंह
6. राकेश पुत्र सुखदेवसिंह पुत्रगण सुखदेवसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा
7. रणजीत पुत्र सुखदेवसिंह तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. सुनीता पत्नी कलवन्तसिंह पुत्री सुखदेवसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. कृष्ण पुत्र नानकराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/2025

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुखवीरसिंह व प्रतिवादी वकील रामस्वरूप भादू अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादीया को चकनं 6 केएचआर के प०न० 232/214 मु० 35 किलानं 24/0.240 है० पश्चिम दिशा, 17/0.2523 है० (पूर्वी - दक्षिणी कोना की 0.0007 है० कृषि भूमि छोड़कर), किलानं 14/0.253 है०, 7/0.0137 है० दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम कुल 0.759 है० आराजी तथा प्रतिवादी सं० 9 को प०न० 232/214 मु० 35 किलानं 8 व 13 कुल 0.506 है० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार वादीया व प्रतिवादी सं० 9 का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एच जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का

आधिकारी  
सहायक कलक्टर  
टिब्बी



स्थान नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/9/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*(Handwritten signature)*

(सत्यनारायण)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पटन महायंत्र (राजस्व)  
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।